INDIA
TWENTY RUPEES
बीस रुपये

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2017 पुनरीक्षण R 1189-I-17

नूर मोहम्मद पुत्र श्री मोहम्मद इब्राहिम आयु- 72 वर्ष, व्यवसाय- कृषि, निवासी- ग्राम कुम्हर्रा, तहसील ओरछा, जिला टीकमगढ़, म0प्र0 --आवेदक

बनाम

गुल्लन पुत्र श्री लख्खी जगा निवासी- ग्राम कुम्हर्रा, तहसील ओरछा, जिला टीकमगढ़, म0प्र0 -- अनावेदक

श्री जे. एस. गौड़ अभिभा० द्वारा आज दि. 20.4.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 20.4.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 13/12/2016 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक ओरछा जिला टीकमगढ़, के प्रकरण कमांक 06/अ-12/2016-17

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः-

जे. एस. गौड़
एडवोकेट

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 458/3/1 रकवा 0.810 हैक्टर स्थित ग्राम कुम्हर्रा, तहसील ओरछा, जिला टीकमगढ़, म0प्र0 के सीमांकन करने हेतु आवेदन-पत्र न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल ओरछा जिला टीकमगढ़ में प्रस्तुत किया गया था जिस पर से राजस्व निरीक्षक ~~टीकमगढ़~~ ओरछा द्वारा दिनांक 26/11/2016 को हल्का पटवारी के साथ उक्त

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1189-एक/2017 जिला टीकमगढ़ नूर मोहम्मद विरूद्ध गुल्लन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर.एस.सेंगर उपस्थित। 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक ओरछा के प्रकरण क्रमांक 06/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 13-12-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी ओरछा को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी ओरछा के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 6. उभय पक्ष अभिभाषकों को नोट कराया जाये । 04/02/2019 (आर.के. जैन) सदस्य	